संख्या-44/2026/आई/1249717/003-89-1002/23/2021

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग   लखनऊ:दिनांक: 24 फरवरी, 2026

विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरखेडा-पीलीभीत में स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-आई/466624/2026/UPDTE/242/2025, दिनांक 13.02.2026 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-105/2024/आई/516249/005-89-1002(002)/1/2023, दिनांक 13 मार्च, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ा-पीलीभीत में फायरफाइटिंग व साइट डेवलपमेन्ट के कार्य हेतु धनराशि रूपये 257.04 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रूपये 16.04 लाख एवं शासनादेश संख्या-165/2024/आई/551336/003-89-सकि002/23/2021, दिनांक 30 अप्रैल, 2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रुप में रुपये 141.00 लाख अर्थात कुल 157.04 लाख की धनराशि उक्त संस्थान को निर्गत की जा चुकी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव के क्रम में राज्यपाल महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ा-पीलीभीत में फायरफाइटिंग व साइट डेवलपमेन्ट के कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष उक्त शासनादेश दिनांक 13.03.2024 एवं 30.04.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं**:-**

धनराशि रूपये लाख में

क्र0 सं0	राजकीय आई0टी0आई0 का नाम व जनपद	निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण	प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि	पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी धनराशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ा-पीलीभीत	संस्थान में फायरफाइटिंग व साइट डेवलपमेन्ट के कार्य हेतु	257.04	157.04	100.00	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 069 **लेखा शीर्षक** 4250002030500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक संबंधित नामित कार्यदायी संस्था।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (द्वारा निदेशक)।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।